बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम–4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (तृतीय एवं चतुर्थ) का आयोजन किया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उक्त परीक्षा का परीक्षा परिणाम प्रकाशित किये जाने के पश्चात सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु Counselling राज्य के सभी जिलों में दिनांक 06.02.2026 से 11.02.2026 की अवधि में कराया गया। उक्त Counselling में निम्नांकित 2174 (दो हजार एक सौ चौहत्तर) शिक्षक अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है की Counselling कतिपय कारणों से पूरा नहीं हो पाया :–

(i)	अनुपस्थित	–	837
(ii)	उपस्थित परन्तु Counselling नहीं करा सके अभ्यर्थी	–	12
(iii)	Doubtful प्रमाण पत्र / दस्तावेज वाले अभ्यर्थी	–	938
(iv)	प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी	–	387
			कुल–2174

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उक्त 2174 (दो हजार एक सौ चौहत्तर) शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में Counselling कराया जाना है। संदर्भित विभागीय आदेश में यह निदेशित है कि Counselling के लिए तिथि एवं टाईम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

3. उक्त के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (तृतीय एवं चतुर्थ) में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों जिनका विवरण कंडिका–1 में अंकित है की Counselling हेतु दिनांक 18.05.2026 (आरक्षित तिथि 19.05.2026) की तिथि निर्धारित किया जाता है। Counselling पूर्वाह्न 09:00 बजे से प्रारंभ की जायेगी तथा यह निम्नांकित–5 टाईम स्लॉट में सम्पन्न होगी –

(i)	पहला स्लॉट	–	09:00 बजे से 10:30 बजे तक
(ii)	दूसरा स्लॉट	–	10:30 बजे से 12:00 बजे तक
(iii)	तीसरा स्लॉट	–	12:00 बजे से 01:30 बजे तक
(iv)	चौथा स्लॉट	–	01:30 बजे से 03:00 बजे तक
(v)	पाँचवा स्लॉट	–	03:00 बजे से 04:30 बजे तक

E:\Sec.Edu\Office Order-R.316

शिक्षक अभ्यर्थियों की Counselling संबंधित जिला के DRCC अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर किया जायेगा।

अपरिहार्य कारणों से दिनांक 18.05.2026 को Counselling नहीं होने पर आरक्षित तिथि यथा 19.05.2026 को Counselling करायी जायेगी।

4. **Counselling का यह अंतिम अवसर होगा।**

5. किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट में Counselling के लिए उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा तथा यह विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से दी जायेगी।

6. Counselling के दौरान पारदर्शिता एवं शुचिता हेतु Biometric Verification (Thumb & Facial Verification), दस्तावेजों के मूल प्रतियों की जाँच कर संबंधित पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

7. शिक्षक अभ्यर्थी के आधार पर अंकित नाम के टाईटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाईटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाईटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जायेगा।

8. विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16.07.2024 द्वारा Counselling हेतु जारी अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश यथावत रहेगा।

अनु0–यथोक्त।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0–03/2024 672 पटना, दिनांक 08/05/2026

प्रतिलिपि : 1. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक, नगर क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

1250

आदेश

बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम–4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, 2024 माह फरवरी–मार्च, 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, नवपदस्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहें जायेंगे। सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बेवसाईट पर देखा जा सकता है।

सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन जिला आवंटित किया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को Verification हेतु उपस्थित होना है।

2. सभी अनुशंसित शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की Verification उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जायेगी। Verification के लिए तिथि एवं टाईम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

3. Verification पूर्वाह्न 09:00 बजे से प्रारंभ की जायेगी तथा यह निम्नांकित 5 टाईम स्लॉट में सम्पन्न होगी :–

(i) पहला स्लॉट – 09:00 बजे से 10:30 बजे तक
(ii) दूसरा स्लॉट – 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
(iii) तीसरा स्लॉट – 12:00 बजे से 01:30 बजे तक
(iv) चौथा स्लॉट – 01:30 बजे से 03:00 बजे तक
(v) पाँचवा स्लॉट – 03:00 बजे से 04:30 बजे तक

4. Verification हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

शिक्षक की कोटि	दिनांक
उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष	01.08.2024 से लगातार
माध्यमिक शिक्षक	02.08.2024 से लगातार
स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक	03.08.2024 से लगातार
मूल कोटि के उर्दू/बंगला/शारीरिक शिक्षक	05.08.2024 से लगातार
मूल कोटि के सामान्य शिक्षक	06.08.2024 से लगातार

5. किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट/तिथि को Verification हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा तथा यह विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जायेगी।

2581

6. **Verification से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश** :–

(i) वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के बेवसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) Verification हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी न करे। Verification की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी।

(iii) संबंधित अभ्यर्थी Verification स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुँचकर Verification करायेगे। Verification के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होगे, जिनका स्लॉट निर्धारित है।

(iv) टाईम स्लॉट के अनुसार Counter पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा।

(v) Verification स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाईल के साथ आयेगे, जिस पर SMS एवं ई शिक्षाकोष मोबाईल एप के माध्यम से टाईम स्लॉट की सूचना दी जायेगी। Verification स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा।

(vi) Verification में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम तीन दिनों के लिए Official Duty पर माने जायेगे।

(vii) प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष एक तिहाई शिक्षक अभ्यर्थी ही Verification में आयेगे। तीन दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी Verification हेतु आयेगे, ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित न हो।

(viii) Verification के लिए निर्धारित तिथि एवं टाईम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है।

(ix) Verification के लिए निर्धारित टाईम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए Verification समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाईम स्लॉट निर्धारित किया जायेगा।

7. **सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए अनुदेश** :–

(1) निर्धारित तिथि को Verification हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फार्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है, उसी क्रम में Verification के समय प्रस्तुत करेंगे, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(i) मूल जाति प्रमाण पत्र यथा लागू।

(ii) मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र।

(iii) मूल आधार कार्ड।

(iv) नियोजन पत्र।

(v) मैट्रिक प्रमाण पत्र।

(vi) इन्टरमीडिएट प्रमाण पत्र।

(vii) स्नातक प्रमाण पत्र।

(viii) स्नातकोतर प्रमाण पत्र।

(ix) डी.एल.एड/बी.एड. प्रमाण पत्र।

(x) दक्षता/BTET/STET/CTET प्रमाण पत्र।

अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी Document का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति साथ लायेगे।

(2) उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नांकित अभिलेख भी लाना होगा :-

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र।

(ii) पासपोर्ट साईज का तीन फोटोग्राफ जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था।

(iii) अभ्यर्थी अपने **बैंक एकाउन्ट नम्बर के साथ** Cancelled Cheque/Pass Book की प्रति।

8. **जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश :-**

1. Verification स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था।
2. निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों/कर्मियों की व्यवस्था।
3. DRCC संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरणों, यथा-कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर, बायोमैट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना।
4. Verification कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता तीन सदस्यीय दल का गठित करना।
5. Verification स्थल पर शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराना।
6. अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्राप्त SMS एवं ई शिक्षाकोष मोबाईल एप के माध्यम से टाईम स्लॉट की दी गयी सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना।
7. Verification में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच कराना।
8. सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाईट पर अपलोड हो।

9. Verification पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

10. जाँच के क्रम में चार स्थिति उत्पन्न हो सकती है :–

(i) Verification के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया।

(ii) Verification के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया।

(iii) Verification के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया।

(iv) Verification के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

11. उपरोक्त क्रमांक (i) से (iii) के अनुसार पाये गये प्रमाण पत्रों को तिथिवार, स्लॉटवार संधारित कर सील बन्द बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को Verification दल उपलब्ध करायेगा।

उपरोक्त क्रमांक (iv) में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अन्तिम मौका देते हुए तिथि एवं टाईम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जायेगा।

12. अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद/फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा।

13. Verification स्थल पर अभ्यर्थियों के Verification के प्रत्येक चरण का विडियोग्राफी कराया जायेगा।

उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय बेवसाईट/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

16/7/2024

(एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 9/बि0वि0प0स0–03/2024 ....566 पटना, दिनांक–....16-07-2024

प्रतिलिपि : 1. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक नगर क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/7/2024
अपर मुख्य सचिव।